संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

डी. के. एस. परिसर, रायपुर 492001,

फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स – 2221641, ईमेल – cgayush@gmail.com

क्रमांक / 1 / स्था. / राज. / महा. / प्रवेश / 2021–22 / 870 रायपुर,दिनांक

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में सत्र 2021–22 में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु

द्वितीय काउंसिलिंग सूचना :–

काउंसिलिंग स्थल :– शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2021–22 में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली / राज्य शासन से प्राप्त मान्यता / अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के आधार पर आयुष महाविद्यालयों के राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2021 में सम्मिलित एवं पात्र तथा संचालनालय आयुष द्वारा जारी विज्ञापन / सूचना दिनांक 29.01.2022 एवं 04.02.2022 के अनुसार पंजीकृत **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी** अभ्यर्थियों को श्रेणी / संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है, ऐसे उम्मीदवार जिनका NEET (UG) 2021 की मेरिट सूची में प्राप्तांक / पर्सेन्टाइल, श्रेणी / संवर्गवार निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :–

समय–सारणी

दिनांक	श्रेणी / संवर्ग		रजिस्ट्रेशन का समय	नीट प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक / पर्सेन्टाइल
22.03.2022 (मंगलवार)	अनारक्षित	निल	प्रातः 08:30 से 10:30 तक	**342 से 287 तक** (82.1499178 से 76.0763803 तक)
		सैनिक	––"––	**298 से 138 तक** (77.3795177 से 50.0812356 तक)
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)		प्रातः 10:30 से 11:30 तक	**398 से 391 तक** (87.3330039 से 86.7354412 तक)
23.03.2022 (बुधवार)	अजजा	निल	प्रातः 08:30 से 10:30 तक	**366 से 108 तक** (84.4882349 से 40.1371390 तक)
24.03.2022 (गुरूवार)	अजा	निल	प्रातः 08:30 से 10:30 तक	**215 से 112 तक** (66.1640137 से 41.6739786 तक)
	अपिव	निल	प्रातः 10:30 से 12:30 तक	**398 से 333 तक** (87.3330039 से 81.2308445 तक)

नोट :– (1) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग में चयनित / उपस्थित नहीं हो सके हैं एवं जिनके अंक उपरोक्तानुसार श्रेणी / संवर्गवार दर्शाए गए अंको से अधिक हैं, वे भी काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

E:\UG Counselling 2020-21\2nd Adv\1

(2) किसी भी श्रेणी/संवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से रिक्त रह गई सीटों को छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 की कंडिका 4(6) के तहत परिवर्तित कर नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।

सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें, ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :–

1. नीट (यू.जी.) 2021 परीक्षा का प्रवेश–पत्र।
2. नीट (यू.जी.) 2021 की अंकसूची।
3. ऑनलाइन पंजीयन की प्रति।
4. दसवीं की मूल अंकसूची।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची।
6. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।
7. स्थायी जाति प्रमाण–पत्र (नियम 4 (2) के अनुसार)।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्थायी जाति प्रमाण–पत्र सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म–16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)।
9. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण–पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)
10. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)।
11. अभ्यार्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। **इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. **दिव्यांगता संवर्ग** में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के **संभागीय मेडिकल बोर्ड** द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। (नियम 4 (3) के अनुसार)।
13. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) अनिवार्य है।
14. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज **फोटो** भी साथ लावें।
15. **शुल्क :–**

    (1) काउंसिलिंग के पश्चात सीट आबंटन के समय **शासकीय** आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर के प्रथम वर्ष के शुल्क का 50 प्रतिशत, सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWSs)/ओ.बी.सी.के लिए **रू. 13,000/–** तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए **रू. 8,000/–** संबंधित महाविद्यालय के काउंटर में तत्काल जमा करना अनिवार्य है।

    (2) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के **निजी क्षेत्र** के राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, चन्दखुरी, गुण्डरदेही रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जी.ई. रोड, मनकी, राजनांदगांव, तथा भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पुलगांव चौक, दुर्ग के प्रथम वर्ष के शुल्क का 50 प्रतिशत

रू. 64,158/–, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुंड रायपुर के प्रथम वर्ष के शुल्क का 50 प्रतिशत **रू. 33,065/–** श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, पारस नगर, नगपुरा जिला–दुर्ग के प्रथम वर्ष के शुल्क का 50 प्रतिशत **रू. 31,065/–** संबंधित महाविद्यालय के काउंटर में तत्काल जमा करना अनिवार्य है।

(3) **काउंसिंलिंग के समय पाठ्यक्रम/महाविद्यालय का चयन करने पर निर्धारित शुल्क तत्काल जमा न करने पर अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।**

(4) **आयुष महाविद्यालयों के शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संबंधित महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।**

नोट :–(1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट से चेक लिस्ट (Check list) डाउनलोड कर, उक्त चेक लिस्ट में सभी बिन्दुओं की जानकारी की पूर्ति कर उपस्थित होवें।

(3) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चस्पा किया जावेगा।

(4) **काउंसिलिंग में उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें काउंसिलिंग सूचना जारी दिनांक के पूर्व भारत सरकार/राज्य शासन से मान्यता/अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त हो गयी है।**

(5) यदि काउंसिलिंग सूचना जारी होने के पश्चात किसी महाविद्यालय को मान्यता/संबद्धता प्राप्त होती है, तो उनकी सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही आगामी काउंसिलिंग में की जावेगी।

(6) आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उच्चतम आयु सीमा का अंतिम निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर यायिका क्रमांक SLP(C) 14320/2018 मे पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

(7) काउंसिलिंग की कार्यवाही केन्द्र/राज्य शासन द्वारा समय–समय पर कोविड–19 से बचाव के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का कठोरता से पालन करते हुए की जावेगी।

(8) सभी शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आबंटन संचालनालय आयुष, रायपुर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/एजेंसी के प्रलोभन में न फंसे।

15/3/21

संयुक्त संचालक
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

E:\UG Counselling 2020-21\2nd Adv\3